



स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

जलेसर रोड, दौलतपुर, फिरोजाबाद।

<https://www.asmcfirozabad.edu.in>

E-mail- gmcfirozabad@gmail.com

संख्या- एफ.जैड.डी/2025-26/1442

दिनांक-20/09/2025

सेवायोजन विज्ञप्ति

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद के विज्ञापन संख्या:-एफ.जैड.डी/2025-26/792 दिनांक 07.07.2025 के क्रम में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों को वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) पद्धति से (संविदा) के आधार पर भरे जाने हेतु बैवसाइट (www.asmcfirozabad.edu.in) पर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या निम्नवत् है:-

क्र०स०	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह-आचार्य	सहायक आचार्य
1.	ऑर्थोपेडिक्स	01 SC	-	01 EWS
2.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01 UR	-	01 OBC 01 SC*** 01 SC
3.	ब्लड बैंक	01 UR	01 UR	-
4.	एनेस्थिसिया	01 UR	01 UR	02 OBC
5.	कम्युनिटी मेडिसिन	-	01 OBC	01 OBC**
6.	सामान्य मेडिसिन	01 UR	01 OBC 01 UR	02 OBC
7.	बाल रोग	-	-	01 ST
8.	सामान्य सर्जरी	-	01 OBC 02 UR	01UR
9.	चर्म रोग	-	01 EWS	-
10.	मानसिक रोग	-	01 UR	-
11.	नेत्र रोग	01 OBC	01 OBC	-
12.	ई०एन०टी०	01 SC	-	-
13.	पैथोलॉजी	-	-	01 OBC
14.	फार्माकोलॉजी	01 OBC	-	01 SC
15.	फॉरेंसिक मेडिसिन	-	01 UR	01 UR
16.	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	01 OBC
17.	फिजियोलॉजी	-	-	01 OBC
18.	रेडियो-डायग्नोसिस	01 SC	01 SC	-
19.	इमरजेन्सी मेडिसिन	01 UR	01 SC	01 OBC 01 UR
20.	रेडियो-थेरेपी	01 OBC	01 OBC	PHYSICIST (01 EWS) *
21.	पी०एम०आर०	01 UR	-	01 UR
	कुल-	12	15	20

*As per UPPSC Norms.

**Epidemiology Cum Assistant Professor in the Department of Community Medicine

*** Antenatal Medical Officer cum Assistant professor in the department of Obs & Gynae

नोट-1. शासनादेश संख्या-I/180855/2022 दिनांक-29.04.2022 के अनुपालन में संविदा आधारित चिकित्सा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में यदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी 03 बार विज्ञापन प्रकाशित होने के बावजूद उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो चौथी बार विज्ञापन प्रकाशित कर आरक्षित श्रेणी के पद पर, उक्त श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षकों का चयन किया जा सकेगा।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद
20.9.25

चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यता) विनियम, 2025 दिनांक 30 जून, 2025 के अनुपालन में 10एस0सी0 पी0एच0डी0 अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

अर्हताएं:— As per latest Teaching Eligibility Qualification (TEQ)

1. संविदा पर नियुक्त किये गये आचार्य को शासनादेश संख्या-109/2024/176/71-1-2024/71-1001/804/2020 दिनांक 18.07.2024 के अनुसार नियत वेतन रू0 2,20,000/- सह-आचार्य को नियत वेतन रू0 1,60,000/- एवं सहायक आचार्य को नियत वेतन रू0 1,20,000/- प्रतिमाह देय है। वेतन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र संख्या 250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं से सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्ति करने हेतु निर्गत शर्तों के अधीन नियत वेतन रू 2,20,000/-प्रतिमाह दिया जायेगा। सेवा शर्तें विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।
2. चिकित्सा शिक्षकों के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष है।
3. एन0एम0सी0 नई दिल्ली द्वारा सहायक-आचार्य पद के लिये 01 वर्ष का एस0आर0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
4. संविदा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिये बाध्य नहीं करेगा।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति नियमित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर अथवा तत्काल भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
9. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात नियमित शिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार इनका कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को नियुक्ति आदेश के 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।
11. यदि कोई संविदा शिक्षक कार्य छोड़ना चाहे तो वह किसी भी समय एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके अपनी सेवा समाप्त कर सकता है।
12. संविदा शिक्षक भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध न्यायलय में कोई वाद लम्बित नहीं है। प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।
15. पदों की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
16. समय-समय पर विज्ञप्ति बैवसाइट पर प्रदर्शित होती रहेगी।
17. इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक— **23.09.2025 (मंगलवार)** को एवं तदोपरान्त प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को प्रातः 10:00 से 01:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।

20.9.25

प्रधानाचार्य,

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय

प्रशासनाध्यक्ष
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
फिरोजाबाद